



2026:AHC:15662

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2023 सन् 2026

दिनेश कुमार यादव याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रेम प्रकाश

प्रतिवादी के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी , मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रार्थना की है कि याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी जाए और याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 के तहत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जाए।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।
3. तदनुसार, रिट याचिका को वापस ली गई मानकर खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता को प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता दी जाती है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलैन